न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या:763/20 (आरसीएमएस नं. 2020/00758)

01. फूली बेवा छीतर, (नाम हजफ)
02. लखन लाल पुत्र श्री छीतर,
03. जगदीश पुत्र श्री छीतर,
04. गिरधारी पुत्र श्री छीतर,
05. कैलाश पुत्र श्री छीतर,
06. हनुमान पुत्र रामनाथ,
07. जवानीराम पुत्र श्री किशन,
08. गंगाराम पुत्र श्री हनुमान,
09. मदन पुत्र श्री किशन, समस्त जाति गुर्जर निवासीयान बाडा डेहरा, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. चुन्नीलाल पुत्र श्री बाबूराम, **(मृतक दौराने अपील)**
    - 1/1. छमकी पत्नी चुन्नीलाल,
    - 1/2. लादूराम पुत्र चुन्नीलाल,
    - 1/3. शंकर पुत्र चुन्नीलाल,
    - 1/4. विनोद पुत्र चुन्नीलाल,
    - 1/5. सावित्री पुत्री चुन्नीलाल,
    - 1/6. गायत्री पुत्री चुन्नीलाल,
    - 1/7. छोटी (मनीषा) पुत्री चुन्नीलाल, जाति रैगर निवासी अर्जुनपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
02. रूडा पुत्र श्री भींवा,
03. छाजू पुत्र श्री भींवा,
04. रेवड़ पुत्र श्री भैरू,
05. गणपत पुत्र श्री भैरू,
06. छोटू पुत्र श्री भैरू, **(मृतक दौराने अपील)**
    - 6/1. पार्वती पत्नी छोटूराम,
    - 6/2. संजय पुत्र छोटूराम,
    - 6/3. अरूण पुत्र छोटूराम नाबालिंग जरिये संरक्षिका माता पार्वती देवी,
    - 6/4. ग्यारसी पुत्र छोटूराम,
    - 6/5. गुड्डी पुत्र छोटूराम,
    - 6/6. संतरा पुत्री छोटूराम,
    - 6/7. पायल पुत्री छोटूराम नाबालिंग जरिये संरक्षिका माता पार्वती देवी समस्त जाति रैगर निवासी अर्जुनपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
07. पूरण पुत्र श्री भैरू,
08. बरजी बेवा नाथू,
09. कन्हैया पुत्र श्री नाथू,
10. पूरण पुत्र श्री नाथू,
11. लक्ष्मी पत्नी श्री मंगला,
12. धन्ना पुत्र श्री मंगला,
13. फुलचन्द पुत्र श्री मंगला,

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

14. जगदीश पुत्र श्री मंगला, जाति रैगर निवासी बाडाडेहरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 01.09.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के आदेश दिनांक 12.03.2013 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम बाडेहरा तहसील जमवारामगढ में स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 98 में अपीलान्ट अपने पूर्वजों क समय से काबिज चले आ रहे है एवं कब्जे कश्तकर रहे है लेकिन उक्त भूमि का गलत रूप से आवंटन दिनांक 01.07.1981 को रेस्पोडेन्ट चुन्नीलाल पुत्र श्री बालूराम के पक्ष में 6 बीघा 10 बिस्वा रूड़ा पुत्र श्री भींवा के पक्ष में 4 बीघा तथा रेस्पोडेन्ट छाजू के पक्ष में 3 बीघा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 7 पिता भैरू पुत्र श्री भूरा के पक्ष में 6 बीघा 10 बिस्वा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के पति व 9 लगायत 10 के पिता नाथू पुत्र बिरधा के पक्ष में 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 11 के पति व रेस्पोडेन्ट संख्या 12 लगायत 14 के पिता मंगल पुत्र नरसिंह के हित में 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आंवटन किया गया जो उक्त आवंटन नियमों के विपरित था तथा भूमि खाली भूमि भी नही थी और उक्त भूमि पर आवंटन के दिन से आज तक आवंटियों का कभी कोई कब्जा उपरोक्त वर्णित भूमि पर नही रहा है, जिसके कारण भी आवंटन स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने क्यासी आधार पर अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन 14(4) आवंटन नियम को गलत रूप से खारिज कर दिया है जो अपीलाधीन आदेश विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि खसरा नम्बर 98 जो कि एक बड़ा रकबा था जिसमें अधिकाश नदी नालों के उपयोग में भी आ रही थी और अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड की अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय देने में सरासर गलती की है। उन्होने आगे कथन किया है कि विपक्षीगण के हक में जो आवंटन किया गया था वो ग्राम बाड़ीडेहरा के निवासी भी नही है और भूमि बहाव बेड़ में होने के कारण आवंटियों के हक में गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण भी नही खुला है इससे भी स्पष्ट है कि आवंटन विधि विरूद्ध होने से सरसरी तौर पर ही निरस्त होने योग्य था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पहलू को भी नजर अन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय देने में सरासर गलती की है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीगण का बहुत बड़ा परिवार है और उनमें कई भूमिहीन भी और कब्जा होने के कारण आवंटन कि प्रथम वरीयता में आते थे लेकिन आवंटन सलाहकार समिति ने अपीलार्थी काबिज के कब्जे को मनगढन्त दर्ज करते हुये जो निर्णय पारित किया है वह सरासर अवैधानिक है। उन्होने यह भी कथन कि किया है कि भूमि जब खाली ही नही थी और आवंटियो द्वारा

P.T.O.

आवंटन के बाद काश्त ही नही की गई तो आंवटन स्वतः ही निरस्त होने योग्य था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इन सभी पहलूओं को नजर अंदाज कर अपीलाधीन निर्णय देने में सरासर गलती की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2013 निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) की आवंटन को स्वीकार करते हुये विपक्षीगण के हक में हुये आवंटन दिनांक 01.07.1981 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि ग्राम बाडाडेहरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर स्थित भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 98 में 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 4 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को 3 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 7 के पिता भैरू को 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 8 लगायत 10 के पिता नाथू को एवं 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लगायत 14 के पिता मंगला को भूमिहीन होने की वजह से दिनांक 01.07.1981 को भू आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर उपखण्ड अधिकारी आमेर ने आवंटित किया था तथा मौके पर कब्जा संभलाया गया तथा उपरोक्त वर्णित भूमि को रेस्पोडेन्ट के नाम गैर खातेदारी में अंकित किया गया तभी से रेस्पोडेन्ट भूमि वादग्रस्त पर निरन्तर एवं निर्बाध रूप से साधिकार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने भूमि वादग्रस्त में निहित अपने खातेदारी अधिकारो की विधिवत घोषणा करवाने एवं गैर खातेदारी से खातेदारी रेस्पोडेन्ट के नाम अंकन किये जाने हेतु अलग–अलग वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ के समक्ष प्रस्तुत किये जिन्हे उक्त न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 के द्वारा स्वीकार किये जिनके विरूद्ध अपीलान्ट ने अलग–अलग छः अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिन्हे उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 13.01.2020 को उभयपक्षों की बहस सुनकर गुणावगुण पर निरस्त फरमा दी गई जिनके विरूद्ध अपीलान्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की जिन्हे राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 09.11.2020 को उभयपक्षों की बहस सुनकर गुणावगुण पर निरस्त फरमा दी गई है, जिनके निर्णयों से अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पर कोई विधिपूर्वक, स्वामित्व और अधिकार प्रमाणित नही माना है जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट की हस्तगत प्रकरण में कोई लोकस स्टेण्डाई नही है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरो का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटीयान द्वारा नियमानुसार भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट है तथा रिपोर्ट के पश्चात् भू–आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा उक्त आवंटन किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही की गई है। यद्यपि अपीलान्ट ने

P.T.O.

दौरान बहस आवंटियान को आवंटन के समय भूमिहीन नही होना, आवंटन की शर्तो की पालना नही करना, आवंटीयान का कब्जा नही होना, आवंटित भूमि नदी नाला होना ईत्यादि कथन तो किया गया है किन्तु अपीलान्ट द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष एक भी साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त आवंटन विधि विरूद्ध साबित होता हों। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी अधिकारी जयपुर के समक्ष 6 अपीलें प्रस्तुत की गई जिन्हे अपीलान्ट को प्रकरण में प्रभावित पक्षकार ना मानते हुए आदेश दिनांक 13.01.2020 द्वारा उक्त 6 अपीलें को खारिज किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष भी 6 अपीलें प्रस्तुत की गई है जिन्हे भी राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 09.11.2020 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का कोई विधिपूर्ण हक, स्वामित्व और अधिकार प्रमाणित नही होना मानते हुए अपीलान्ट की अपीले खारिज की गई है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट को बेवजह ही हेरान व परेशान की करने की नियत से अनावश्यक ही मुकदमात दर्ज कराते रहे है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2013 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2013 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 01.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।